YSR-LP/2.00/2B

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are now taking up the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017. Shri Bandaru Dattatreya.

THE PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL, 2017

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, I beg to move:

> That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मजदूरों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए और समय पर भुगतान करने के लिए यह एक ऐसा विधेयक है, जिसकी आज के समय में, समसामयिक जरूरत है। उसी की पूर्ति करने के लिए, अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करने के लिए यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय ने यह विधेयक पेश किया है। मैं इस विधेयक का

समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि मजदूरों के बारे में सोचने का यह एक अच्छा उपाय है। हमारे देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र में हमारा श्रमिक काम करता है। देश में कुशल, अर्धकुशल, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड श्रमिक काम करते हैं। चूँकि ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में कर्मचारियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, इसीलिए हमारे यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

(2c/klg पर जारी)

KLG-VKK/2C/2.05

डा. सत्यनारायण जटिया (क्रमागत): इसलिए ऐसे श्रमिकों के बारे में, उनके भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए यह बिल लाया गया है। यह संशोधन बिल मजदूरों की मजदूरी के भुगतान की पद्धति को रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए है, It regulates the payment of wages of certain class of employed persons. इस अधिनियम में अनेक बार संशोधन हुए हैं, 2005 में अंतिम बार संशोधन हुआ था। इस अधिनियम की धारा 6 यह उपबंध करती है, Section 6 of the Act provides that all wages shall be paid in current coin or currency notes or in both. यह जो धारा 6 है, इसमें उपबंध किया गया है कि हम जो कर्मचारी को, श्रमिक को भुगतान करें, वह चाहे हमारे प्रचलित सिक्के हों या नोट हों, उसके माध्यम से करें। जैसा कि आप जानते हैं, यह जो विमुद्रीकरण हुआ है, उसके कारण से और उस समय में करेन्सी का जिस प्रकार का प्रवाह होना चाहिए, उस स्थिति को भी सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए यह बात बहुत जरूरी हो गई थी, उस दृष्टि से यह विधेयक लाने का काम हुआ है। यह

विधेयक 28 दिसंबर, 2016 को लाया गया था। हमने कोशिश की थी कि 15 दिसंबर, 2016 को इस विधेयक को लोक सभा में पारित किया जाए, किन्तु उस वक्त की अपनी परिस्थिति के कारण से यह पारित नहीं हो पाया था। इसलिए मजदूरों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए इस अध्यादेश को लाना पड़ा और इस अध्यादेश के माध्यम से मजदूरों के भुगतान को उनके खातों में अंतरण करने का, उनके भुगतान को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी उपाय किया गया। इस अधिनियम की धारा 6 पहले से ही यह अधिकार देती है कि कर्मचारी अपना ऑप्शन दे कि वह किस तरह से अपना भुगतान चाहता है। वह नगद में भुगतान चाहता है या चैक के द्वारा भुगतान चाहता है या फिर उसके खाते में उसके भुगतान का अंतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, इसके लिए उसके पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। फिर भी इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, जो बहुत पुराना है, उसमें यह एक संशोधन करने का काम हुआ है और यह विधेयक इस रूप में यहां पर प्रस्तुत हो गया है। भुगतान की पद्धति को दोष-रहित बनाने का यह उपाय है और साथ ही यह डिजिटल, कैशलेस की दिशा में भी एक प्रभावी कदम है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को एक सशक्त माध्यम देता है। इस तरह से यह एक प्रभावी उपाय किया गया है। इससे पहले भी आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, हरियाणा की राज्य सरकारों ने अधिनियम में संशोधन कर चैक अथवा बैंक खातों में अंतरण करने का प्रबंध कर रखा है। तो यह पद्धति प्रचलन में आ गई है और इस पद्धति को पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए यह संशोधन लाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हम कर रहे हैं, जिससे श्रमिकों को किसी भी प्रकार से शोषण का शिकार न होना पड़े। हमेशा यह शिकायतें

रहती थीं कि मजदूरों को जो भुगतान किया जा रहा है, उसमें पूरा भुगतान नहीं हो रहा है या कभी भुगतान नहीं भी हो रहा है। इस भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक और सुरक्षात्मक कदम है कि इस तरह के विधेयक को पारित करने का काम किया जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस अध्यादेश को हम विधेयक के रूप में परिवर्तित करने का काम करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके कारण से ईएसआई, जो राज्य कर्मचारी बीमा योजना की स्वास्थ्य सेवा है, उसका भुगतान सुनिश्चित हो रहा है और ये राज्य कर्मचारी बीमा योजना और भविष्य निधि योजना, जो श्रमिकों के हित की बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से भी यह उनके लिए सुरक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपाय होगा। इस विधेयक के माध्यम से यह जो पद्धति लाने का काम सरकार ने किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है।

उपसभापति महोदय, हमारे देश में जिस तरह से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उन सभी के कल्याण की बात होनी चाहिए। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अनेक प्रकार के श्रमिक हैं, जिनके काम करने की पद्धतियां लगभग समान ही हैं और हम एक लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन देने के उपाय करने के बारे में सोच रहे हैं।

(2डी/एकेजी-बीएचएस पर जारी)

AKG-BHS/2D/2.10

डा. सत्यनारायण जटिया (क्रमागत) : मैं भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते श्रमिक क्षेत्र से वर्षों तक, 1966 से लेकर अब तक, जुड़ा रहा हूँ और इस क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि श्रमिकों को किस प्रकार वेतन विसंगतियों से बचाने के

लिए उपाय करना आवश्यक है। इस दृष्टि से सरकार इसके बारे में भी निश्चित रूप से सकारात्मक उपाय करने का काम करेगी। हमारे देश में contract labours हैं, आकस्मिक श्रमिक हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं, आँगनवाड़ी के कार्यकर्ता और सहायक हैं। अगर हम ये सारे भुगतान सुनिश्चित कर सकें, बैंकों के माध्यम से, चेक के माध्यम से या उनके खातों में अंतरण करने के माध्यम से, तो यह बहुत अच्छा काम होगा। सरकार ने इसके लिए पहले ही जन-धन योजना के खाते शुरू किए हैं। निश्चित रूप से प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने भविष्य की सारी योजनाओं के अन्तर्गत जिस तरह से उसको क्रमबद्ध बनाया है, उसके अन्तर्गत यह भी एक कदम है, जिसको सुनिश्चित करने का उपाय करना है।

महोदय, यह विधेयक बहुत ही उपयोगी है और समसामयिक भी है। मैं श्रमिकों के हित में कहना चाहूँगा, चूँकि हम तो जानते हैं कि

"कौन बनाता है हिन्दुस्तान,
भारत का मजदूर-किसान",

कि यह भारत के मजदूरों को सुरक्षा देने का एक प्रभावी उपाय है। सरकार ने इस विधेयक के रूप में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए और यहाँ लाने के लिए निश्चित रूप से सरकार का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि

"मानवता के लिए ऊषा की किरण जगाने वाले हम;
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम"।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात) : सर, आपने इस बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका ध्यान एक ऐसे विश्लेषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि this is the most neglected legislation as far as implementation is concerned. इसका जन्म इसलिए हुआ था कि पहले जो लोग कपड़ा मिल में काम करते थे और मंदी के वक्त जब मालिक उनको पैसा नहीं देते थे और बोलते थे कि यह कपड़ा ले जाओ, कपड़ा बाजार में बेचो और उसमें से अपनी तनख्वाह ले लो। इसको हटाने के लिए और इसको मिटाने के लिए उस वक्त मजदूरों ने जो लड़ाई लड़ी, मजदूरों के संगठनों ने जो लड़ाई लड़ी, उससे यह piece of legislation आया कि जो मजदूर काम करता है, उस मजदूर को मालिक द्वारा compulsorily cash में पैसा देना पड़ेगा और उसकी तारीख तय की गई। चूँकि उसको पैसा देना पड़ेगा, इस वजह से उसको उसका रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया, Industrial Disputes Act आया, Bombay Industrial Relations Act आया और दूसरे Acts आए। उनमें से कितनी ही चीजें regulate हुईं, लेकिन Payment of Wages Act बिल्कुल ऐसा neglected piece रहा, जिसके बारे में Labour Department ने ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि जो organized industries थीं, वे अपने आप समय पर उनको पैसा दे देती थीं। इस वजह से लोगों को इसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सर, आज क्या स्थिति है? चूँकि wages धीरे-धीरे बढ़ते गए, बहुत सी industries में industrial workers की स्थिति और भी खराब होती गई और unorganized sector के अन्दर काम बढ़ता गया।

The worst part is, कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो पहले गवर्नमेंट के अन्दर casual labour permanent रखते थे, उन्होंने daily wages के ऊपर उनको काम पर रखना शुरू कर दिया। उससे भी एक step आगे जाकर Minimum Wages Act के तहत जो काम लिए जाते थे, डिपार्टमेंट्स ने उन कामों को drought relief work और दूसरे works के अन्दर उन कामों को करवा कर Minimum Wages Act के सेक्शन 26 के अन्दर exemption दे दिया। इस exemption की वजह से स्थिति यह हुई कि उन पर Minimum Wages Act लागू नहीं होता है। जब उन पर वह Act लागू नहीं होता है, तो उनको रिकॉर्ड रखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले Payment of Wages Act के अन्दर जो स्थिति पैदा हुई है, वह यह है कि you know, all the Departments of the Government, by and large, of all the State Governments of the country, say, for example, PWD Department, Forest Department, Irrigation Department, they always keep casual labour.

(Contd. by SCH/2E)

SCH-DC/2.15/2E

श्री मधुसूदन मिस्त्री (क्रमागत) : क्योंकि Supreme Court का जो judgement आया है, उसके अनुसार अगर कोई किसी को minimum wage से कम देता है, तो वह बेगार माना जाएगा है, it is forced labour. इस वजह से minimum wage को compulsory कर दिया गया, लेकिन कितनी ही राज्य सरकारों ने अपने फंड से भी minimum wage की payment करने में असमर्थता दिखाई है। इस वजह से स्थिति यह हो गई है कि Department, in which they are keeping casual labour, वे उसका रिकॉर्ड ही नहीं

रखते हैं। कितने काम ऐसे होते हैं, जो साल में 20-25 दिन चलते हैं या 30-40 दिन चलते हैं। Say, for example, पूरे देश के अंदर Forest Development Corporations हैं। जितने भी mines and forest produce हैं, उनको आदिवासी और दूसरे लोग जंगलों के अंदर इकट्ठा करते हैं, that is a regulation between the Forest Development Corporation and the casual labour. अभी हमारे यहां से Afforestation का बिल पास हुआ था। उसमें जो plantation करने वाले मज़दूर हैं, जो चौकीदार हैं, जो sapling लगाते हैं, जो बाड़ बनाते हैं, जो पत्थर के hedge बनाते हैं या जो गड्ढा खोदने वाले मज़दूर हैं, ये सब बिल्कुल casual labour होते हैं। न तो उनमें से किसी का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है और न ही किसी को wage slip दी जाती है। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से सिर्फ wage slip लेने के लिए 20 साल गुज़ारे हैं, क्योंकि wage slip देने का मतलब यह हुआ कि they have to keep the record. अगर wage slip हो, तो at least, they can claim कि मेरे 240 दिन हो गए हैं, इसलिए मैं Provident Fund का भी हकदार बनता हूं और Gratuity का भी हकदार बनता हूं। Now, this is all done by the Government Departments. I am not talking about the private people or private employers. The worst part in this country, now, is, most of the Government Departments keep the casual labour as a labour without giving them any benefit of labour legislation. उसमें Payment of Wages Act का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मज़दूर बदलते रहते हैं। एक बार वे बदले जाते हैं और अगर उनके 240 दिन नहीं हुए हैं, तो बीच में ही सब हटा दिए जाते हैं। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, उनको wage slip नहीं दी जाती है, क्योंकि

अगर कोई labour दूसरा काम करने वाला है, इससे उसके wage का अंतर बदल जाता है। उदाहरण के लिए मैं Forest Department के अंदर काम करने वाले चौकीदार की बात करूंगा, उसके पास पांच से सात किलोमीटर का एरिया होता है। जहां-जहां प्लांटेशन होता है, वहां-वहां जाकर उसको चैक करना होता है। उसे कोई भी ranger, कभी भी, without giving any notice, उधर से उठाकर किसी दूसरी जगह पर भेज सकता है या जिसने ज्यादा पैसे दिए होंगे, उसको वह रख लेता है, इसको निकाल देता है। इन हालत के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। यह स्थिति ज्यादातर सभी जगहों पर है। आप Irrigation Department को देख लीजिए। आज Irrigation Department का सबसे ज्यादा काम NREGA के अंदर होता है। NREGA के अंदर fixed wages हैं। अगर उनको Irrigation Department हायर करेगा, तो उसको 300 या 350 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर NREGA के अंदर उनको काम दिया जाएगा, तो कम पैसे देने पड़ेंगे। Forest Department का जो actual departmental work था, that has been replaced by NREGA और NREGA में आपको wage slip देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, न ही वे देते हैं और न ही NREGA के अंदर Payment of Wages Act लागू होता है। लाखों मज़दूर इसमें काम करते हैं। जब बजट के ऊपर चर्चा होगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर by and large, Government department के जो regular work थे, how that work was transferred into NREGA. जो लोग गड्ढा खोदने को criticize करते थे, आज वे ही गड्ढा खुदवाने वाले हैं, क्योंकि नये बजट के अंदर तालाब बनवाने की बात भी आई है और गड्ढे खुदवाने की बात भी आई है। NREGA में जो काम करते हैं, उनको 100 दिन की मज़दूरी दी जाती है। हालांकि 100

दिन की मज़दूरी के अंदर अगर हम सिर्फ seasonal work को गिनें, तब तो they are seasonal workers, so, all the labour laws must apply to them. Why are they given an exemption? उनके ऊपर minimum wage का कानून लागू नहीं होता है, इसमें उसको भी exemption दी गई है, क्योंकि इसकी clarification वे यह कहते हुए देते हैं कि यह तो सिर्फ एक स्कीम के अंदर है। वैसे यह under the Act है और उसकी एक यूनियन भी रजिस्टर हुई है, लेकिन Labour Department उसकी कोई cognizance नहीं लेता है, इसलिए Payment of Wages Act के अंतर्गत, न तो उनको wage slip दी जाती है और न ही उसके अनुसार उनको तनख्वाह मिलती है। आज तो स्थिति और भी खराब हो गई है। जैसे अगर मेरी तनख्वाह है, आप उसको मेरे एकाउंट में जमा करवाने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन बैंक में पैसा withdraw होने वाला नहीं है और सरकार उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है। आपके पास इस कानून को लागू करवाने की क्या machinery है? NREGA के अंतर्गत अगर आप 15 दिन के अंदर काम नहीं देते, तो वे compensation के हकदार होते हैं। गुजरात में कोर्ट ने यह डिसीज़न दिया कि इनको unemployment allowance मिलना चाहिए, लेकिन उनको वह नहीं दिया गया। यह केस Payment of Wages Act के तहत फाइल किया गया था। अगर आप हाई कोर्ट में जाइए, तो वहां पर डिसीजन लेने में सालों लग जाते हैं।

(2f/rpm पर जारी)

RPM-KR/2F/2.20

श्री मधुसूदन मिस्त्री (क्रमागत): सवाल यह है कि यह तो हम ले आए हैं, लेकिन हैंडलूम सेक्टर, जहां पॉवरलूम में 10-20 लोग काम करते हैं या डायमंड सेक्टर में जहां 10-20

लोग काम करते हैं, वहां पर तो यह ठीक है, परन्तु इस देश के जो करोड़ों लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, उनकी आज क्या स्थिति है? मेरी ग्रिवेंस लेबर मिनिस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट से है, पर्टिकुलर लेबर मिनिस्टर से नहीं है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा केजुअलटीज़ 15-20 सालों में हुई हैं। उनका स्टाफ कम हुआ है। उनका बजट भी कम हुआ है।

महोदय, आज सुबह जैसे हमारे माननीय सदस्य, श्री जाधव जी बता रहे थे कि चाइल्ड लेबर के अंदर जो इंस्पेक्शन हुए, वे दो परसेंट भी नहीं हुए।

(उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) पीठासीन हुए)

उनके ऊपर कितने केस किए गए, उसकी तो बात ही आप जाने दीजिए। क्या आप उसे पेमेंट ऑफ वेजेज़ एक्ट के अंदर स्लिप दोगे, क्या उसका रिकॉर्ड रखोगे, क्या उसे आप चेक से पेमेंट करोगे या कैश पेमेंट करोगे, आप क्या एंश्योर करते हैं? Who will ensure it? As far as I am concerned, this may be a very good piece of legislation for the unorganized sector, लेकिन इसके बारे में, मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं और पेमेंट ऑफ वेजेज़ एक्ट के अन्तर्गत उन्हें पेमेंट करने को कैसे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं?

सर, पेमेंट ऑफ वेजेज़ के अंदर जो लिखा है, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं-"All wages shall be paid in current coin, or, currency notes, or, by crediting wages into the bank accounts of the employees."

cheque, आप सरकार के डिपार्टमेंट्स से सीधे चेक से पेमेंट कराइए। All the labours which are employed by the various Departments of the Governments as

casual labourers, let their wages go into their bank accounts. Let there be a record. You examine it and find it out. Why is the Labour Department not doing it? मैं तो बोलता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट इतना सुस्त क्यों है और क्यों बिलकुल टूथलेस हो गया है? इसी वजह से सबसे ज्यादा केचुअलटीज़ हुई हैं। सबसे पहला सवाल है काम मिलने का कि काम मिलना चाहिए।

सर, एग्रीकल्चर लेबर की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। उसमें किसी कानून का पालन नहीं होता है। पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के खड़े होने के बावजूद भी वहां किसी भी कानून पर अमल नहीं होता है और अमल कराया भी नहीं जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वायलेंस होता है। ऐसा लेबर डिपार्टमेंट वाले भी मानते हैं। उसे इम्प्लीमेंट कराने में डिपार्टमेंट के इंस्पैक्टर भी डरते हैं। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि यदि मुझे सरकार पर केस फाइल करना है, तो सबसे पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि उसमें यह है कि अगर इसके ऊपर केस फाइल करोगे, तो 'नो ऑब्जेक्शन' सर्टिफिकेट चाहिए।

They don't do it. और इसकी वजह से, मैं यदि 10 दिन काम करूं और मुझे 10 दिन का पेमेंट नहीं मिलता है, तो मैं कहां और किस कोर्ट में जाऊंगा? मिनिस्टर साहब, मैं आपसे और आपके डिपार्टमेंट से जवाब चाहूंगा कि उसे यदि 5 या 10 दिन का पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो क्या मैकेनिज्म है, क्या कंपल्शन है स्टेट के ऊपर और डिपार्टमेंट के ऊपर?

सर, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पैसा खाया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जब प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो तीन वीडिंग होती हैं। तीन में से दो कीं, एक

वीडिंग की ही नहीं और उसका पैसा चला गया। उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है, लेकिन वह उसमें डाला नहीं जाता है, उसका पैसा बाहर ही बाहर चला जाता है। कितने गड्ढे खोदे, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है और कितने मजदूर लगे, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि वह सीज़नल होता है। वह केवल 15-20 दिन का ही सीज़न होता है। तेंदू पत्ते का सीज़न ज्यादा से ज्यादा एक महीने चलता है। इरिगेगेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले, जो रोड के आजू-बाजू में किनारी टूट जाती है, उसे बांधने के लिए जिन मजदूरों को लगाया जाता है, उन्हें हमेशा बदल दिया जाता है, जिससे कि उनका इसमें कोई हक न बने। यह डेलिबरेटली क्यों होता है?

महोदय, आप इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए दें, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन्हें दें, ताकि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। हम भी चाहते हैं कि एम्प्लायमेंट बढ़े। मेरा ग्रीवेंस यह है कि जो करोड़ों की संख्या में एग्रीकल्चरल लेबर और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हैं, उन्हें हम क्या दे रहे हैं? उसके लिए कानूनों और उनके इम्प्लीमेंटेशन की हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सर, बिलकुल ब्लैंक हैं, unfortunately I must say. मैं अभी भी डील कर रहा हूं। मैं तीन-चार यूनियन्स का जनरल सैक्रेटरी हूं।

(2 जी/पीएसवी पर जारी)

KS-PSV/2G/2.25

श्री मधुसूदन मिस्त्री (क्रमागत): मैं देखता हूँ कि क्या हालत है। सर, हमारे यहाँ गुजरात में अम्बाजी नाम की एक जगह है, जहाँ मार्बल माइंस हैं, जिसके बारे में हमारे मिनिस्टर वगैरह सब जानते हैं। वहाँ मार्बल माइंस में ब्लास्टिंग की वजह से मजदूर मर जाता है। वह माइंस में ब्लास्टिंग की वजह से मर जाता है, लेकिन उसे कम्पंसेशन नहीं

मिलता है। वह कहाँ पर जाएगा? अगर वह लेबर गया भी तो वहाँ से उसको भुज जाना पड़ेगा, which is almost 300 kilometers, वहाँ पर Conciliation Officer बैठता है। जहाँ पर ये माइंस हैं, वहाँ पर वह नहीं बैठता है। वह सोचता है, अगर पैसा नहीं दिया, तो मैं अपने पैसे लेने के लिए 300 किलोमीटर दूर थोड़े ही जाने वाला हूँ! यह कैसी व्यवस्था है? मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रा मेहरबानी करके इसको देखिए। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ, सिर्फ एक तरफ इंडस्ट्री की ओर मत देखिए। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे हैं, तो उनसे काम मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सामने जो करोड़ों लोग हैं, उनकी तरफ भी तो थोड़ी नज़र कीजिए। यह क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपको गरीबी दूर करनी है, तो सबसे पहले जेब में पैसा जाना चाहिए। जो मजदूरी करता है, उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए, समय से मिलना चाहिए, उसके पूरे हक़ मिलने चाहिए, वे कहाँ पर हैं?

सर, कोई चाहे कुछ भी करे, आज रिक्रूटमेंट के अन्दर पैसे दिए बगैर काम नहीं मिलता है, चाहे वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो या सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो। प्राइवेट में तो स्थिति और भी खराब है। वहाँ तो hire and fire की स्थिति है। जो नहीं आया, उससे कह दिया गया कि तुम्हारा पैसा नहीं है, जाओ। तुमसे जो हो, वह कर लेना। वहाँ यूनियन की स्थिति क्या है? उसके सामने कौन लड़ने वाला है और उसके लिए कौन लड़ता है? It is the most hazardous activity as far as trade unions are concerned. आज ट्रेड यूनियंस के अन्दर जाने वाला आदमी नहीं है। वह सोचता है , मैं यह क्यों करूँ? मेरी सेफ्टी क्या है? मेरे पास कौन-सा कानून है? हमारे यहाँ जो dissenting voice है, उस dissenting voice को

यह कहकर बंद किया जाता है कि यह तो नक्सलाइट है। सर, एक जमाना था जब मुझे पता होता था कि यह People's War Group का आदमी है। अब इसको मैं क्या बोलूँ? हमारी सरकार -- तुम सिर्फ मजदूरों, आदिवासी मजदूरों के सवालों को उठाओ, तो उसमें तुम People's War Group, leftist और नक्सलाइट हो जाते हो, क्योंकि तुम जंगल में जाकर काम करते हो। मिनिस्टर साहब, यह पेमेंट एंड वेजेज़ ऐक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ। It is not just a small piece of legislation; it is a very, very big responsibility as far as I am concerned, and you have to look into it, and your Department has to ensure all these things for the people of the country, फिर न तो नक्सलाइट्स पैदा होंगे और न ही लेफ्टिस्ट्स या राइटिस्ट्स पैदा होंगे। अगर आज पूरे देश में सब काम ठीक से चल रहा है, तो मिनिमम वेजेज़ के implementation का काम क्यों नहीं चल रहा है? पैसे समय से क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप MNREGA के पैसे पोस्ट ऑफिस में क्यों जमा करवा रहे हैं, बैंक में क्यों जमा करवा रहे हैं? मैंने काम किया है, मुझे पैसे दो, शाम को मुझे पैसे चाहिए। हमारी तनख्वाह हर महीने मिल सकती है, लेकिन MNREGA की तनख्वाह नहीं मिल सकती है, उसमें उसको 10 एविडेंस चाहिए। मैंने आज काम किया है, तो उसका पैसा मुझे तीन हफ्ते बाद मिलेगा। हम कैसी सरकार चला रहे हैं और हम कैसा काम करवा रहे हैं? सभी तरफ वाले, इधर वाले, उधर वाले, मैं किसी अकेले को नहीं कोस रहा हूँ, यह मेरी आपसे गुजारिश है। मेरे हिसाब से इसके अन्दर से 'or' शब्द निकाल दीजिए। आपने इसके अन्दर लिखा है, "in notes or by cheque". आप इसे कैश करवाइए। मजदूरों का कितना पैसा है?

वह तो किसी का भी 24,000 से ज्यादा नहीं है। किसी को मिलेगा भी नहीं, अगर इतना मिलेगा, तब तो बहुत हो गया। अगर महीने के 10,000 रुपये मिलते, तब भी बहुत हो जाता। आप वह पैसा कैश क्यों नहीं देते हैं, उसे आप चेक से क्यों देते हैं? आप रिकॉर्ड रखवाइए। सर, जंगलों के अन्दर या दूसरी जगहों पर जो एक्टिविटी होती है, जिसमें प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के अन्दर बोनस के वे हक़दार होते हैं। उस बोनस को देने के लिए उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर वे बोनस किसको दें?

सर, मैं सिर्फ गुजरात की बात करता हूँ, ओडिशा और आन्ध्र प्रदेश की बात नहीं करता हूँ। ओडिशा के तेंदू पत्ते की वजह से जो स्थिति पैदा हुई, वह सब जानते होंगे। सर, वहाँ किसी का रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने जो काम करके दिया है, उसका जो बोनस approve होता है, उसका मैं legitimate हक़दार हूँ, लेकिन वहाँ पर किसी को साँप ने काट लिया, कोई औरत ऊपर से नीचे गिर गई या पत्ते लेकर कौन गया, उन सबका रिकॉर्ड Forest Development Corporation या Forest Department के पास नहीं होता है। अगर लेबर डिपार्टमेंट वाला कोई बता दे, तो मैं जरूर पता कर लूँ।

(2एच/वीएनके पर जारी)

VNK-RSS/2H/2.30

श्री मधुसूदन मिस्त्री (क्रमागत) : उनके डिपार्टमेंट में चेक कीजिए। लेबर डिपार्टमेंट की ओर से आप डिपार्टमेंट्स में चेक करवाइए, जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर धौंस रखते हैं। यह हालत आज पेमेंट और वेजेज़ की है। Unorganized Sector में, जो दो-दो, पांच-पांच मजदूर रखते हैं, उसकी बात है, कंस्ट्रक्शन लेबर की बात है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहां यह कानून लागू होता है? लाखों मजदूर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम

करते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि से ज्यादातर मजदूर कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, क्योंकि दूसरा कोई अनस्किल्ड काम तो है नहीं। वे लोग फुटपाथ पर सोए रहते हैं, एक्सिडेंट होते हैं, तो उनकी जानें चली जाती हैं।। अभी किसी ने तीन लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जब कि वे लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। यह बीते हफ्ते की बात है। इसके कारण सब मजदूर वहां से पलायन कर गए यानी वापस चले गए। उनके पैसे वैसे के वैसे ही धरे रह गए। कॉंट्रेक्टर बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैश कहां से लाकर दूं? क्या आप उनको इसके लिए assure करते हैं? मैं आपसे इस तरह की आशा रखता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फॉरेस्ट वर्कर्स हैं तथा दूसरे डिपार्टमेंट्स के casual labour हैं, उनको आप इस पेमेंट एण्ड वेजेज़ एक्ट के माध्यम से इस बात के लिए assure कीजिए। सिर्फ एक्ट बनाने से मजदूरों को पैसा नहीं मिल जाता है। मुझे पैसा चाहिए, मैंने काम किया है, उसका पैसा चाहिए। मुझे मजदूरी भीख के रूप में नहीं चाहिए, मुझे समय से अपनी मजदूरी चाहिए। आपका डिपार्टमेंट या सरकार का डिपार्टमेंट आज तक उनको यह assure नहीं कर सका, चाहे वह स्टेट का हो या केन्द्र का हो। केन्द्र वाले बोलेंगे कि यह तो स्टेट सब्जेक्ट है, हम क्या करें? इस विषय में जो sensitivity है, मेरे हिसाब से वह बिल्कुल मर गई है। आज उनको कोई नहीं जानता, जिन हजारों मजदूरों के पैसे वैसे के वैसे बाकी पड़े हैं या पड़े रहते हैं।

सर, मुझे खुशी है कि आज आप इस तरह का बिल लेकर आए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इतने सालों से काम करता हूँ, मैं यह देखता हूँ कि उनकी क्या हालत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर, इस वजह से मैंने इनको कितनी ही चीजें बताई हैं। मैं इनसे आशा रखता हूँ, क्योंकि मैं इनका हमशक्ल हूँ। एक बार ट्रेन में किसी ने मुझसे

पूछ दिया कि क्या आप बंडारू दत्तात्रेय हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मधुसूदन मिस्त्री हूँ। ...(व्यवधान)... ये मेरे हमशक्ल हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : इसके लिए आपको थोड़ा दुबला होना पड़ेगा।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैं इनसे यह आशा रखता हूँ। ...(व्यवधान)... सर, अगर सरकारी आदमियों को बुरा लगे, तो वे मुझे माफ करें, लेकिन आप जब तक उनके ऊपर डंडा नहीं चलाइएगा, तब तक वे काम नहीं करते हैं। जब उनको लगता है कि मेरी नौकरी जाने वाली है, तब वे फटाफट काम करने लगते हैं। जब तक इस तरह की स्थिति नहीं आती है, तब तक वे काम नहीं करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के हित के लिए आप उन पर डंडा चलाइए। आप लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर डंडा चलाइए और उनको बताइए। आप वहां जाकर random check कीजिए। आप कहीं पर भी जाकर चेक कीजिए, वहां पर बहुत सारे लोग आपसे कम्प्लेंट करेंगे।

सर, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ और आशा रखता हूँ कि मिनिस्टर साहब इसके ऊपर पूरा ध्यान देकर इस पूरे कानून को real sense में implement कराएंगे, ताकि लोगों की जेब में उनकी मजदूरी का पैसा जाए। मुझे यह आशा है कि आप इस तरह का कोई कदम उठाएंगे, धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, सरकार जब भी संसद में कोई कानून लाती है, तो यह आवश्यक होता है कि उसके ऊपर संबंधित स्टेकहोल्डर्स से डिस्कस किया जाए। संसद में जो भी बिल्स आते हैं, उनका दूरगामी

परिणाम होता है। प्रस्तुत विधेयक, ऐसे ही दूरगामी और गंभीर परिणामों वाला है। इस कानून का असर देश के करोड़ों श्रमिकों, कामगारों और छोटे नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। सरकार ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है कि समय के बीतने के साथ प्रौद्योगिकी बदल रही है। चेक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान या उसके नियोजित बैंक खाते में मजदूरी जमा करने से डिजिटल और अल्प नकदी अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के अलावा न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न होने या उसके कम भुगतान के बारे में शिकायतों में कमी आएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि इस तरह के प्रबंध कुछ प्रदेश सरकारें पहले से कर चुकी हैं। सेक्शन (6), पेमेंट ऑफ वेजेज़ एक्ट के तहत अभी तक coins और रुपए में मजदूरी और दिहाड़ी का भुगतान हो सकता था।

(2जे/एनकेआर-केजीजी पर जारी)

NKR-KGG/2J/2.35

श्री संजय सेठ (क्रमागत): यह व्यवस्था अभी तक ठीक चल रही थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस संशोधन से भुगतान में किस तरह इजाफा होगा तथा डिजिटल पेमेंट से अधिकतम मजदूरी कैसे ensure की जा सकती है? क्या सरकार ने इस संबंध में मजदूरों और कामगारों की यूनियन वगैरह से बात की है? यह व्यवस्था organised industry के लिए तो ठीक है, लेकिन जहां unorganised industry है, जैसे agriculture है, construction है, उनमें सारे मजदूर एक जगह से दूसरी जगह, दूर-दूर जगहों पर जाते हैं, जैसे बंगाल से, उत्तर प्रदेश या अलग-अलग जगहों से पंजाब, महाराष्ट्र, केरल या दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं। इनकी रोज की मजदूरी अगर

इन्हें न मिले, तो इनका खाना नहीं चलता है। अगर इन्हें बैंक के जरिए पेमेंट दिया जाएगा, तो पहले उन्हें बैंक में लाइन खड़े होकर पैसा निकालना पड़ेगा और फिर वे अपना खाना खा पाएंगे। इसलिए digital payment करने से सब मजदूरों की नौकरी चली जाएगी या वे पलायन कर जाएंगे, वापस अपने प्रदेश चले जाएंगे। हमारे यहां हर शहर में अगर सुबह आप निकलें, तो किसी भी चौराहे पर लेबर खड़ी आपको मिल जाएगी, जिन्हें वहां से construction works के लिए रोज़ाना ले जाया जाता है। अगर हम उन्हें शाम को चैक से पेमेंट करेंगे या digital payment करेंगे तो वे उसे accept नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शाम को उसी पैसे से खाने का इंतजाम करना होता है। इसलिए यह व्यवस्था बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है।

इनमें से अधिकतर मजदूर पढ़े-लिखे नहीं होते और उनके लोकल बैंकों में खाते भी नहीं होते। दूर से आए लोगों के अपने शहरों में खाते हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह खाते खुलवाने में वे हिचकते हैं। अगर उन्हें चैक के माध्यम से पेमेंट मिलता है तो वे चैक को बैंक में जमा करके पैसा नहीं निकाल सकते। वे अपना खाता ही दूसरी जगह नहीं खुलवाते। इसलिए इस बिल में यह एक व्यावहारिक कमी है, जिसे मजदूर मानने को तैयार नहीं होंगे।

ऐसे ही, agricultural sector में जो मजदूर गांव में काम करता है, वह चैक से पेमेंट नहीं लेगा। इन सारी समस्याओं पर ध्यान देने और बिल में व्यवस्था करने की जरूरत है कि कैसे इन लोगों के हित में प्रावधान किया जा सकता है?

सरकार ने कहा है कि प्रौद्योगिकी बदल रही है, देश बदल रहा है लेकिन हमारे देश का गरीब किसान, मजदूर आज भी वहीं खड़ा है। न उसके बच्चों के लिए पढ़ाई-

लिखाई की व्यवस्था है और न दो वक्त की रोटी की व्यवस्था है। अगर वह अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके रोजी-रोटी की व्यवस्था करता है, तो उसके लिए पढ़े-लिखे और कुलीन वर्ग की digital व्यवस्था लाकर कुर्बानी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम कामगार पहले ही नोटबंदी के चलते बेरोज़गार हो चुके हैं। इस बिल पर कानूनी मुहर लगने से मजदूरों की हालत और खराब होगी।

बिल के सैक्शन 6 में एक proviso जोड़ा गया है, जिसके तहत सरकार तमाम establishments के बारे में नोटिफिकेशन जारी करके यह व्यवस्था कर सकती है कि वे केवल digital भुगतान प्रणाली को ही अपनाएं। इस तरह का बिल में delegation सिर्फ गैर-कानूनी ही नहीं, बल्कि संविधान का भी उल्लंघन है। इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। मैं समझता हूं कि इस प्रावधान को Committee on Subordinate Legislation को रेफर करना चाहिए तथा यह opinion लेनी चाहिए कि इस तरह का delegation कहां तक उचित है? यह बिल Department related Standing Committee को भी रेफर नहीं किया गया है। चूंकि यह बिल लोक सभा से पास होकर यहां आया है, मैं propose करता हूं कि इस बिल को सलैक्ट कमेटी को रेफर किया जाए तथा स्टेक-होल्डर्स की opinion लेने के बाद ही इसे सदन में रखा जाए। धन्यवाद।

(समाप्त)

MS. DOLA SEN (WEST BENGAL): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for allowing me to speak on this important Bill. India has 472 million labour

force. Out of this, 90 per cent of the workforce is in the informal and unorganized sector. It contributes to 45 per cent of the GDP. However, workers are deprived of the benefits of formal employment like provident fund, health insurance like the ESI, bonus, dearness allowance, etc. Even, employers pay the employees and workers less than the minimum wages mandated by the States or the Centre. This is today's reality.

(Contd. by KLS/2K)

KLS-DS/2K/2.40

MS. DOLA SEN (CONTD): With due respect to Union Labour Minister who is present here, I am sorry to say that the Central Labour Directorate has not been able to exert law of the land in this respect till date. Sir, it is important to protect the interests of the workers and labourers. I am glad that a reformed labour code will ensure that wages reach the workers in a timely manner. However, the Bill states that all wages must be transferred to the bank account. Unless the Government specifically notifies a certain amount, which may be paid in cash, this may pose a difficulty for many who still do not have bank accounts. This Government constantly talks about cashless India, Digital India. However, does the Government know how many people have bank accounts? The harsh reality is that 80 per cent of women don't have bank accounts in India. And, more than 50 per cent of workers don't

have bank accounts till date. To add to the misery of the workers, the restrictions on cash withdrawal have still not been removed by the Government. How will a poor worker stand in the ATM queues during his work hours to withdraw money? How will he pay service to banks? Sir, political parties can receive Rs.2,000 cash donation but the poor workers cannot. For example, I want to add that if an entrepreneur has to pay Rs.2 crores as wages or salaries of workmen per week, say, on every Saturday, he is also entitled to withdraw only Rs.24,000 from his account. Obviously, there is no need of lockout and strike. Factories after factories are being closed and will be closed further affecting crores of workmen of our country. Sir, in Bengal there are over four lakh people working in tea gardens. There are over five lakh of people who are working in the jute mills. Sir, 1.5 crore of Bengal population is associated with tea industry and 2.5 crore of Bengal population is associated with jute industry. There are thousands of *beedi* workers; there are thousands of construction workers, etc., etc. These workers and labourers could not be paid their wages due to demonetization. Sir, demonetization has caused hardship to all the workers and labourers. After three months of pain and agony, over 25 crore daily wage workers have lost their jobs. Unemployment has increased to 7 per cent, unfortunately. There is a need to provide a comprehensive social security

system for workers in the informal sector. Let the objective reality be up to the mark at first. The Government cannot make the poor worker suffer because of its own agenda to go cashless and digital. Thank you very much.

(Ends)

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017 सदन में लाया गया है, इसमें दर्शाया गया है कि श्रमिकों को चेक द्वारा और डिजिटल पेमेंट द्वारा पेमेंट की जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, जो असंगठित हैं। उनको किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है, वे डेली मजदूरी करते हैं और डेली कमाकर अपने परिवार को चलाते हैं। उनको इस डिजिटल पेमेंट से किस प्रकार से पेमेंट की जाएगी?

(2एल/एमसीएम पर जारी)

MCM-HK/2L/2.45

डा0 अनिल कुमार साहनी (क्रमागत) : मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं। बिल इसलिए लाया गया है कि मजदूरों को सही समय पर मजदूरी मिल सके। मगर जो मजदूर हैं, जिस प्रकार से खेतिहर मजूदर हैं, रोड बनाने वाले मजदूर हैं, मकान बनाने वाले मजदूर हैं, हमारे जल श्रमिक हैं, जो जल में काम करते हैं, वे किसी न किसी के

अधीन काम करते हैं। जब वे किसी न किसी के अधीन काम करते हैं तो वे नकद पर काम करते हैं। अगर आप रिक्शा चलाने वाले को भी कह दीजिए कि चैक से पैसा लो, डिजिटल पेमेंट से लो, ए0टी0एम0 से लो, तो वह रिक्शा वाला जो डेली कमाकर अपने परिवार को चलाता है, वह किस प्रकार से यह काम करेगा? इस बिल में कहीं पर ध्यान नहीं दिया गया है कि जो डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो डेली काम करने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, किस प्रकार से उनका पेमेंट दिया जाएगा? आज बड़े-बड़े ठेकेदार हमारे मजदूरों का पैसा रख लेते हैं। इसके कारण से याद दिलाना चाहते हैं कि उनके खाते और बही में उनकी मजदूरी का जो चार्ट बने, उसमें उनकी मजदूरी की जानकारी व्यापक रूप से रहे कि आपने पैसा दिया या नहीं और पैसा कैसे दिया। वैसे यह तो ठीक है, लेकिन जो आपने कहा है कि चैक द्वारा दिया जाए या डिजिटल पेमेंट द्वारा किया जाए, तो यह व्यावहारिक रूप से नहीं आ पाएगा। व्यावहारिक रूप से लाने के लिए आपने इस पर क्या कठोर कदम उठाया है, इसको आगे लाने के लिए क्या काम किया है? खास करके हम जल श्रमिक संघ से जुड़े हुए रहे हैं, जल श्रमिक संघ के कार्यक्रम में भाग लेते रहे हैं और उसके हम पदाधिकारी भी रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जल श्रमिक संघ के जो लोग काम करते हैं, जैसे खेतिहर मजूदर है, जो खेत में काम करते हैं, उसी तरह से जल श्रमिक संघ भी है, उसको वहीं बांटकर पैसा दे दिया जाता है, मगर आपने जो यह बना दिया है तो इसके अनुसार उनको किस प्रकार से डिजिटल पेमेंट से पैसा दिया जाएगा, इस पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

आज हमारे श्रमिकों के बारे में, जो मजदूरी करते हैं, अभी इस बारे में मधुसूदन मिस्त्री जी बोले तथा संजय सेठ जी भी बोले हैं। उन्होंने बहुत व्यावहारिक बात बोली है कि जो गरीब अपने परिवार को चलाता है, दैनिक मजदूरी करके चलाता है तो डिजिटल पेमेंट से उसका परिवार कैसे चलेगा? आज यहां सभी लोग बैठे हुए हैं। आपके खाते में कितना ही पैसा रहे, मगर आपकी पॉकेट में एकाध हजार रुपया नहीं रहे तो आप अपने आपको हल्का महसूस करते हैं, जबकि जो व्यक्ति मजदूरी करके खाता है, तथा जो सुबह काम पर जाता है तो शाम को उसे नकद पैसा चाहिए, अगर उसे नकद पैसा नहीं दीजिएगा, और कहा भी जाता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में अगर पैसा नहीं दिया गया तो उसके साथ इंसाफ नहीं होता है। अगर उसकी मजदूरी का पैसा उसके खाते में भेज देंगे तो उसका परिवार कैसे चलेगा, इस पर आप पुनर्विचार करें। आप इस ओर देखें कि वे लोग अपना रोज गुजारा कैसे करेंगे, जबकि वे असंगठित मजदूर हैं, हमारे खेतिहर मजदूर हैं, हमारे जल श्रमिक मजदूर हैं, हमारे बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं, हमारे रोड पर काम करने वाले मजदूर हैं, हमारे घर बनाने वाले मजदूर हैं, तो उनका आप किस प्रकार से पेमेंट करवाइएगा? इसमें आपने नकद का भी प्रावधान किया है, मगर इस पर ज्यादा जोर देना होगा कि जो नकद लेना चाहे उसको नकद भी देने का प्रावधान रहे। अगर आप चैक से पेमेंट करेंगे तो कल जाकर वह बैंक से पैसा लेगा लेकिन उसका परिवार आज तो भूखा मरेगा। इस बात को देखने के लिए आपने क्या प्रावधान किया है?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस गरीब मजदूर, शोषित उपेक्षितों की जो बात आप कह रहे हैं, आप डिजिटल पेमेंट करने की बात जिस प्रकार से आप इस बिल में

लाए हैं, यह व्यावहारिक नहीं है। यह व्यवहार में नहीं है कि किस प्रकार से हमारे गरीब को पेमेंट किया जाएगा, इसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय बताने की कोशिश करेंगे, इन्हीं सुझावों के साथ मैं पुन: इस विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखता हूं।

(समाप्त)

(2M/SC/NBR पर आगे)

-SSS/NBR-SC/2M/2.50.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on this Bill. Sir, this Bill was first introduced on the last day of the Winter Session and thereafter an Ordinance was promulgated. Is resorting to Ordinance route at all required on this issue? That is my first question. It is not at all required. Ordinance route is taken to make the issue *fait accompli* as a supplementary drive to demonetization misadventure, aims at benefiting only the big corporate and MNCs in the digital service, credit card service filed where every transaction includes service charge, unlike cash transaction. That is the basic purpose of this 'corporate service Government' behind imposing this Bill via Ordinance route and not for the welfare of labour.

Besides, the whole exercise of bringing an Ordinance on this issue smacks of authoritarianism and that has also been reflected in the very content of the Ordinance. Originally, under the existing Payment of Wages

Act, the worker possesses the right to choose as to which mode he receives his wage. Sir, salary is my right. Salary is my property. I must decide how to withdraw that and how to use that. The Right to Property is a Constitutional right. The Government of day has taken oath on the Constitution. Are you not violating the Constitution? Is it right? I request the hon. Minister to please examine this.

Sir, precisely, the right of worker's consent has been snatched away through this amendment. Can the hon. Labour Minister deny that? While taking away the worker's right to consent on mode of wage payment, the administration has been empowered to decide the sector or area where wage payment will be made either by cheque or bank transfer.

Sir, today, the organized labour is 7 per cent and unorganized labour is 93 per cent. According to my information from banking sector, only 89 lakh people from unorganized sector have bank account. Crores of people do not have any account at all. They take their salary by cash. Hon. Minister has said about Kerala and other things. Sir, in Kerala only Government employees are being paid in cheque or through bank account, not ordinary employees or workers from unorganized sector. That is not in Kerala. I think, you have to correct that. Sir, it may not be the problem for organized sector, because for most of them salary is paid through bank. Most of the

establishments under organized sector are in urban and semi-urban areas having bank service. Wherever there is Government office or wherever there is a public sector unit, you will find a banking service. But, in case of unorganized sector occupations, particularly in unbanked rural areas, payment of wages through cheque or bank transfer would create a serious problem for workers and leave them at the mercy of employer even in the matter of getting their legitimate earned wage. Legitimate earned wage itself becomes a problem. I don't know how the Ministry of Labour thought about it. Does this amendment Bill has any provision to protect the workers in that kind of a situation? Unless such right to worker is ensured, this Bill cannot serve the required purpose and the objective. I demand: The worker's right to consent or choose the mode of payment of wage should be incorporated in the Bill. Otherwise, you are taking away my Constitutional right. You have no right to take away my right. The Constitution has given me this right.

So, I request the hon. Minister to consider this and make necessary changes accordingly.

Thank you.

(Ends)

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I, on behalf of my YSR Congrss Party and my President, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, and on my own behalf, support this Bill. However, I would like to bring to the notice of the Government three issues which are very important.

I draw the attention of the hon. Minister to Clause 6 of the Bill.

(CONTD. BY USY/2N)

USY/2N/2.55

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): I would just read it. It says, 'All wages shall be paid in current coin or currency notes or by cheque or by crediting the wages in the bank account of the employee.' The only difference between the earlier section, which has been repealed and this section, which has been substituted, is that in the earlier section, there were reference to thousand-rupee-notes and five-hundred-notes, while in this section, it says ‘current coin or current currency’. In view of the issues to which I could come later, what I could interpret from this is that even today the payment of wages can be made by way of cash. This is what we have interpreted. While proceeding further, I would read the proviso to this. I quote the last line, '….the wages only by cheque or by crediting the wages in his bank account.' So, the proviso says that it can be made only by way

of cheque or by crediting the wages in his bank account, whereas the main clause, that is, clause 6 says that payment can be made either by current coins or current currency notes. So, there is a contradiction. The hon. Minister may kindly clarify it. Then, in the last line itself, it says, '…wages in his bank account'. It gives an impression that it is applicable only to the male workers. So, according to me, this has to be slightly amended. It should say, '…in his or her bank account' This is what I feel. Please correct me, if I am wrong, Mr. Minister.

There are three other issues. Only twenty-seven per cent of the villages in India have got banking access within five-six kilometers. If the objective of the Act is to make the payment only by way of cheque or to be credited into the bank account of the employees, how it is possible to credit the amount in the bank account of the employee where the banking facilities are not available, as 75 per cent of the villages do not have banking facilities. Therefore, I request the Government to first create the banking infrastructure so that the Act can be implemented more effectively. Secondly, as the hon. Members have said, 90 per cent of the work force in this country is in the unorganized sector. Hence, I would request the Government to make this Act applicable even to the unorganized sector workers.

Sir, I really don't understand why the Government has opted to promulgate an Ordinance with regard to this particular Act. Of course, the hon. President of India has got every right to promulgate an Ordinance under Article 123 of the Constitution, depending upon the exigencies and, if the situation so warrants, if he feels that a law needs to be brought into force, he could promulgate an Ordinance. Nobody would say 'no' to that. Sir, may I bring it to your kind notice that Parliament was in Session from 16th November to 16th December, 2016. Probably one day before the closing of the last Session, on 15th December, this Bill was introduced in the Lok Sabha. Subsequently, since that Bill could not be passed by both the Houses of Parliament, the Government opted to issue an Ordinance around the 28th of December.

(CONTD. BY PK/2O)